GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: eduprimaryhry@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

सेवा में,

राज्य के,
सभी जिला शिक्षा अधिकारी व
सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी कमांक– 33/5–2021 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला :– 18.10.2021

विषय:– **नियम 134–ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु कक्षा 2 से 8 व 9 से 12 तक छात्रों के दाखिले हेतु फार्म रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाने बारे।**

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी कमांक 33/5–2021 पी0एस0(ई0–1), दिनांक 08.10.2021 तथा स्मरण पत्र 13.10.2021 की निरन्तरता में।

इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत नियम 134–ए के तहत स्कूल पंजीकरण हेतु आनलाईन प्रकिया दिनांक 09.10.2021 से 17.10.2021 तक लिंक **http://134a-hr.in/** पर शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक राज्य के सभी मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कूल पंजीकृत नहीं किये गए हैं। सभी सभी मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों द्वारा **ऑनलाईन फार्म रजिस्ट्रेशन करने का समय 17.10.2021 से बढ़ाकर 20.10.2021, 12 बजे (अर्धरात्रि)** किया जाता है, इस तिथि के बाद कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

मामले में आपसे अनुरोध है कि अपने–अपने जिले के अधीन सभी मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों को दिनांक 20.10.2021 से पूर्व लिंक **http://134a-hr.in/** पर सूचना अपलोड करवाने बारे अपने स्तर पर सूचित करना सुनिश्चित करें।

कुछ विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर सीटों का ब्यौरा अंकित किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि सैक्शन संख्या के आधार पर सीटों का ब्यौरा अंकित किया जाए। उदाहरणार्थ– जैसा कि एक सैक्शन 30 छात्रों का है तो उसमें तीन सीटें (10%)नियम 134–ए के तहत आरक्षित रहेंगी तथा शेष 27 सीटों पर विद्यालय अपने स्तर पर छात्रों के दाखिले कर सकता है।

इसके अतिरक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि जिन मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों द्वारा नियम 134–ए के तहत अपने विद्यालय का नाम उक्त लिंक पर रजिस्टर नहीं करवाया है, उनकी सूचना दिनांक 21.10.2021, सायं 5 बजे तक विभाग को ई–मेल elementaryps@gmail.com पर भेजी जाए ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

18/10/2021

अधीक्षक पी0एस0(ई0)
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक सम– दिनांक– 18.10.2021

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1 उपनिदेशक, IT Cell (H.Q)
2 निदेशक, स्कूल शिक्षा विद्यालय की प्राईवेट स्कूल शाखा।

18/10/2021

अधीक्षक पी0एस0(ई0)
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।